वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा

दिनांक 20 जनवरी, 2022 आयोजित प्रबंध मंडल की 100वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल की 100वीं बैठक दिनांक **20 जनवरी, 2022** को अपरान्ह 3.15 बजे विश्वविद्यालय के जयपुर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रो.(डॉ.) रतनलाल गोदारा, कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा की गई।

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:–

1. प्रो.(डॉ.) रतनलाल गोदारा, माननीय कुलपति	अध्यक्ष
2. प्रो. संतोष कुमार शील, देहरादून (माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा मनोनित)	सदस्य
3. श्री टी. मुरलीधरन, हैदराबाद (माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा मनोनित)	सदस्य
4. प्रो. सी.बी.शर्मा, नई दिल्ली (प्रतिनिधि, इ.गा.रा.मु.व.वि.)	सदस्य
5. प्रो. बी.अरूण कुमार, वमखुवि कोटा आचार्य, राजनीति विज्ञान	सदस्य
6. डॉ. फिरोज़ अख्तर, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राज.सरकार द्वारा नामित)	सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)
7. डॉ. अनिल कुमार जैन, निदेशक क्षेत्रीय सेवायें, वमखुवि,	सदस्य
8. डॉ.जितेन्द्र कुमार शर्मा, निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र वमखुवि, जयपुर	सदस्य

9. डॉ. मो. अख्तर खान, नियंत्रक (वित्त) वमखुवि, विशेष आंमत्रित

10. डॉ. मो. अख्तर खान, कुलसचिव, वमखुवि सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा ऑफलाईन एवं ऑनलाईन उपस्थित समस्त सदस्यों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए नवनियुक्त सदस्य डॉ. अनिल कुमार जैन एवं डॉ. जितेन्द्र कुमार शर्मा का परिचय करवाया। साथ ही पूर्व सदस्य डॉ. दिलीप कुमार शर्मा, निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र, वमखुवि, कोटा के योगदान को सराहते हुए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

कोरोना की संकटकालीन परिस्थिति में भी अपना अमूल्य समय प्रदान कर बैठक में उपस्थित होने के लिए अध्यक्ष एवं माननीय कुलपति महोदय ने प्रो. संतोष कुमार शील, प्रो. सी.बी.शर्मा, एवं श्री टी. मुरलीधरन का विशेष आभार जताते हुए स्वागत एवं अभिनंदन किया।

बैठक हेतु निर्धारित कार्यसूची विवरण पर चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व माननीय सदस्य, प्रबंध मंडल में नामित वरिष्ठ आचार्य के मुद्दे पर प्रो. सी. बी. शर्मा द्वारा यह अभिमत रखा गया कि आचार्य की वरिष्ठता बोर्ड के एक बाहरी सदस्य के प्रतिनिधित्व के साथ एक समिति के माध्यम से तय की जाए और तत्पश्चात अंतिम निर्णय लिया जाए। उनका अभिमत था कि गैर सरकारी वकील की तुलना सरकारी वकील से राय लेकर कार्यवाही करना उचित होता। उनका यह भी अभिमत था कि बैठक में दिए गए न्यायालय के फैसले का संदर्भ भी अनुचित है। प्रो. सी. बी. शर्मा के अनुसार विश्वविद्यालय ने यूजीसी विनियमन 2018 को अपनाया है जिसने वरिष्ठता तय करने की प्रक्रिया निर्धारित की है इसलिए विश्वविद्यालय वरिष्ठ आचार्य का निर्धारण इसी आधार पर करे। प्रो. सी. बी. शर्मा ने इस संभावना से भी अवगत कराया कि यदि प्रो. अरुण कुमार का नामांकन इस आधार पर कि वह प्रो. अशोक शर्मा से वरिष्ठ हैं विधिक रूप से रद्द कर दिया जाता है, तो बोर्ड के सभी निर्णय निष्फल हो सकते हैं।

प्रो0 संतोष कुमार शील द्वारा वरिष्ठता के निर्धारण के सम्बन्ध में अवगत करवाया कि एक बार वरिष्ठता सूची अन्तिम होने के बाद कुलपति महोदय को परिवर्तन करने का अधिकार निहित नहीं, व्यथित कर्मचारी माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। माननीय कुलपति महोदय ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार और पूर्व दृष्टान्त के आधार पर विधि सम्मत निर्णय किया गया है। माननीय कुलपति महोदय ने यह भी अवगत कराया कि इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर वरिष्ठ अधिवक्ता से ली गई राय को मद्देनजर रखते हुए निर्णय लिया गया है,

अतः किसी प्रकार एक्ट का उल्लंघन नहीं हुआ है। उक्त जानकारी के क्रम में प्रो0 शील का कहना था कि सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर लिया गया निर्णय न्याय संगत नहीं है क्यों कि वाद किन आधारों तथा किन परिस्थितियों में दायर किया गया ,जिनकी वजह भिन्न है, इसमें लागू नहीं किया जा सकता है, । प्रो0 अशोक शर्मा 19 मई 2001 से एसोसिएट प्रोफेसर पद पर पदौन्नति हुई है जबकि प्रोफेसर बी0अरूण कुमार दिनांक 19. 08.2009 को एसोसिएट प्रोफेसर पर नियुक्त हुए। प्रोफेसर अशोक शर्मा दिनांक 31.12.2008 में सी.ए.एस. के अनर्तगत प्रोफेसर तथा बी. अरूण कुमार दिनांक 19.08.2012 से सी.स.एस. के तहत प्रोफेसर हुए है। उक्त आधार पर प्रोफेसर अशोक शर्मा ही वरिष्ठ होंगे।

श्री टी. मुरलीधरन का मत था कि विद्दमान दिशा–निर्देश अनुसार कुलपति के पास आचार्य की वरिष्ठता के आधार पर प्रबंध मंडल मे सदस्य नामित करने का निर्णायक शक्ति है और इसलिए कुलपति द्वारा प्रबंध मंडल मे नामित सदस्य के निर्णय को प्रबंध मंडल को स्वीकार करना चाहिए। श्री मुरलीधरन ने प्रबन्ध मण्डल के दायित्वों और समय के महत्व की ओर सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए आग्रह किया कि प्रबंध मंडल की बैठक की कार्यवाही को कार्यसूची अनुसार आगे बढाया जाना चाहिए।

आवश्यक गणापूर्ति की सुनिश्चितता के बाद अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कुलसचिव द्वारा कार्यसूची विवरण के निम्नलिखित बिन्दुओं को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं विचार–विमर्श पश्चात् निम्नानुसार निर्णय किए गए :–

100/01 : प्रबंध मंडल की 99 वीं बैठक दिनांक 10दिसंबर, 2020 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन ।

कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 99/1 पर क्षेत्रीय निदेशकों को सी.ए.एस का लाभ देने के संदर्भ में माननीय सदस्य प्रो. सी.बी. शर्मा ने कहा कि क्षेत्रीय निदेशकों को सी.ए.एस. IGNOU में प्रचलित व्यवस्था के आधार पर चयनित वेतनमान/वेतन अभिवृद्वि को VMOU में लागू किया जा सकता है। माननीय सदस्य प्रो. संतोष कुमार शील ने भी इस पर सहमति व्यक्त की। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि IGNOU में प्रचलित व्यवस्था के संबंध में दस्तावेज प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्य प्रो. सी.बी. शर्मा द्वारा कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा को उपलब्ध करवा दिए जाए, जिसका अध्ययन VMOU के कुलपति द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति परीक्षण कर अपनी अनुशंसा आगामी प्रबंध मंडल की बैठक में प्रस्तुत करे।

कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 99/2 के अंतर्गत शिक्षकों को सी.ए.एस का लाभ देने के संदर्भ में प्रो. सी.बी. शर्मा, प्रो.संतोष कुमार शील एवं

श्री टी. मुरलीधरन ने जानना चाहा कि इस पर अभी तक कोई ठोस कार्यवाही क्यों नहीं हुई ? इसी क्रम में क्षेत्रीय सेवा प्रभाग के निदेशक डॉ. अनिल कुमार जैन ने कहा कि विश्वविद्यालय ने अपनी विद्या परिषद तथा प्रबंध मंडल की पूर्व बैठकों में यू.जी.सी अधिनियम 2018 को पूर्णतः लागू करने का अनुमोदन कर दिया है जिसके आदेश कुलसचिव कार्यालय द्वारा जारी कर दिये है। अतः इसी आधार पर शिक्षकों की सी.ए.एस की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होनी चाहिए। माननीय सदस्य प्रो. बी. अरूण कुमार ने भी कहा कि चूंकि यू.जी.सी अधिनियम 2018 विश्वविद्यालय में लागू करने का निर्णय विश्वविद्यालय के संदर्भित वैद्यानिक निकायों द्वारा लिया जा चुका है, अतः विश्वविद्यालय में शिक्षकों को सी.ए.एस. यू.जी.सी अधिनियम 2018 के अनुरूप ही, पूर्व व्यवस्थाओं से प्रथक, शीघ्र सम्पन्न किया जाना चाहिए।

सभी सदस्यों के विचार–विमर्श के उपरांत माननीय कुलपति महोदय ने सी.ए. एस प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से आरंभ करने हेतु सदन को आश्वस्त किया।

तत्पश्चात प्रबंध मंडल द्वारा 99वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

100/02 : प्रबंध मंडल की 99 वी बैठक दिनांक 10 दिसंबर, 2020 में लिए गए निर्णयों की पालना प्रतिवेदन।

अनुपालना प्रतिववेदन का अवलोकन कर की गई कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।

100/03 : वित्त समिति की 61 वी बैठक दिनांक 09 अप्रेल, 2021, 62 वीं बैठक दिनांक 07 अगस्त, 2021 एवं 63 वी बैठक (आपात) दिनांक 15 जनवरी, 2022 के कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन।

61 वीं बैठक के बिन्दु संख्या 61/11.2 के संबंध में संविधान पार्क एवं राजभवन में विश्वविद्यालय पार्क निर्माण हेतु माननीय सदस्य प्रो. सी.बी. शर्मा द्वारा बजट के संबंध में जानकारी चाहने पर सचिव द्वारा बजट संबंधी जानकारी से अवगत कराया और नियमानुसार कार्य सम्पन्न करने के लिए सदन को आश्वस्त किया।

62 वी बैठक के बिन्दु संख्या 62/01 के संदर्भ में आंतरिक गृहकार्य के ऑनलाईन मूल्यांकन व्यवस्था के संबंध में सदन में विस्तृत चर्चा की गई। सभी

सदस्यों का मत था कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ की गई आंतरिक गृहकार्य के ऑनलाईन व्यवस्था प्रशंसनीय है। आन्तरिक गृह कार्य के ऑनलाइन मूल्यांकन गोपनीय प्रकृति माने जाने के प्रश्न पर प्रो. सी. बी. शर्मा का अभिमत था कि आन्तरिक गृह कार्य का मूल्यांकन दूरस्थ शिक्षा दर्शन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रो. सी. बी. शर्मा का अभिमत था कि असाइनमेंट की स्कैनिंग को गोपनीय नहीं माना जा सकता है और इसके लिए किसी एजेंसी की पहचान की प्रक्रिया गोपनीय प्रक्रिया नहीं है। एजेंसी की पहचान और दर बहुत प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने यह भी अभिमत रखा कि जब तक सरकार द्वारा स्थापित जांच समिति की रिपोर्ट नहीं आ जाती है और प्रबंध मण्डल द्वारा तदानुसार निर्णय नहीं किया जाए तब तक यह सुनिश्चित किया जाए कि इस कार्य के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाए।
माननीय सदस्य प्रो. शील का मत था कि ऑनलाईन मूल्यांकन व्यवस्था में किए जाने वाले व्यय के लिए अलग से गोपनीय खाता खुलवाने की आवश्यकता नहीं है एवं वर्तमान में परीक्षा विभाग में उपलब्ध विश्वविद्यालय परीक्षा हेतु संचालित गोपनीय खाते से भुगतान किया जा सकता है।

आंतरिक गृहकार्य के ऑनलाईन मूल्यांकन व्यवस्था के संबंध में श्री टी. मुरलीधरन का अभिमत था कि यह कार्य स्वागत–योग्य पहल है। आंतरिक गृहकार्य के डिजिटाइज़ेशन प्रक्रिया में स्केनिंग करने का कार्य मात्र निहित नहीं है अपितु इसमें सम्पूर्ण डिजिटाइज़ेशन का स्वचालित प्रक्रिया (Complete digital process automation) है जो भविष्योन्मुख बेहतर प्रक्रिया है। उनका मानना था कि इस विषय पर अलग–अलग मत या राय हो सकते हैं कि आंतरिक गृहकार्य के ऑनलाईन मूल्यांकन व्यवस्था के कार्य को जब बाह्य फर्म का चयन किया जा रहा है तो इस प्रक्रिया को गोपनीय रखा जाना चाहिए या नहीं। उनका मत था कि इस संबंध में यह भी दृष्टिगत रखने योग्य है कि ऐसा कार्य पहली बार किए जाने के कारण विश्वविद्यालय के समक्ष पूर्व दृष्टान्त उपलब्ध नहीं था जिसका अनुसरण किया जाए। श्री टी. मुरलीधरन का मत था कि भविष्य में इस कार्य को जब बाह्य फर्म को आवटंन करने का निर्णय लिया जाए तो निविदा प्रक्रिया अपना कर किया जाए और फर्म का चयन QCBS प्रक्रिया (ना कि LCM प्रक्रिया) पर आधारित हो। उन्होंने कहा कि जहां तक वर्तमान में बाह्य फर्म के चयन का संदर्भ है प्रबंध मंडल को अपना निर्णय राज्य सरकार द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट आने तक सुरक्षित रखना चाहिए और करवाए गए कार्य के लिए अभी भुगतान नहीं करना चाहिए।
सदन की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति महोदय ने सदस्यों को अवगत कराया कि परीक्षा एवं मूल्यांकन को ऑनलाइन करने का निर्णय प्रबंध मंडल की 86वीं बैठक दिनांक 25 जून 2013 के निर्णय संख्या 86/18(7) में लिया गया था। तत्पश्चात् विद्या परिषद की 60वीं बैठक एवं प्रबंध मंडल की 98 वीं

बैठक में भी ऑनलाईन परीक्षा एवं गृहकार्य की व्यवस्था के बारे में भी निर्णय किया गया। माननीय कुलपति महोदय ने यह भी बताया कि हजारों छात्रों की शिकायतों को देखते हुए गठित समितियों द्वारा भौतिक रूप से जांच की गई एवं जांच उपरांत प्राप्त टिप्पणी के आधार पर आंतरिक गृह कार्य की शुचिता को बनाए रखते हुए तत्काल मूल्यांकन को ऑन लाइन करने का निर्णय किया गया।जिसमें ऑनलाईन मूल्यांकन की संपूर्ण प्रक्रिया नियुमानुसार RTPP act 2012 के प्रावधानों के अनुरूप ही आउटसोर्स किया गया है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भी प्रमाणित किया है कि आंतरिक गृहकार्य के ऑनलाईन मूल्यांकन कार्य को आउटसोर्स करने की व्यवस्था में किसी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार नहीं हुआ है।

प्रकरण में अन्तिम निर्णय देने से पूर्व सदन ने निर्णय किया कि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकरण की जाँच हेतु गठित समिति की रिपोर्ट से सदन को अवगत किया जाए जिसके आधार पर निर्णय किया जा सके।

वित्त समिति की 63वीं बैठक के कार्यवाही विवरण एवं उसके साथ संलग्न आगामी वित्तिय वर्ष 2022–23 के बजट अनुमान, वर्ष 2021–22 के संशोधित बजट अनुमान एवं वर्ष 2020–21 की बैलंसशीट्स को अनुमोदित किया गया इस क्रम में मननीय कुलपति महोदय द्वारा वाणिज्य न्यायालय कोटा में लम्बित प्रकरण संख्या 03/2020 वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय बनाम मेसर्स सरस्वती प्रेस, मथुरा में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 11/11/2021 के अनुसार राशि रूपए 41052456/– (अक्षरे रूपए चार करोड दस लाख बावन हजार चार सौ छप्पन मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट माननीय वाणिज्य न्यायालय कोटा में दिनांक 10/12/2021का जमा करवाने की सूचना प्रबन्ध मण्डल के संज्ञान में लाई गई। इसमें यह भी बताया गया कि चूंकि दस्तावेज न्यायालय में उपलब्ध है, अतः आंतरिक स्तर पर एक समिति गठित कर उसके द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक गणना एवं टिप्पणी को आगामी बैठक में विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत करें। सभी सदस्यों द्वारा उचित कार्यवाही मानकर संतोष व्यक्त किया गया।

तत्पश्चात वित्त समिति की तीनों बैठकों (61,62 एवं 63) के कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन किया गया।

100/4 विद्या परिषद की 63 वी बैठक दिनांक 17 नवम्बर, 2021, के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 63/5 में निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्रों को शोध पर्यवेक्षक बनाये जाने के संबंध में माननीय सदस्य, डॉ. जे.के. शर्मा ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्रों को शोध पर्यवेक्षक बनने से रोक दिया गया है और इस बात की कोई सूचना भी नहीं दी है। इस संदर्भ में माननीय सदस्य प्रो. सी. बी. शर्मा का मत था कि यू.जी.सी. ने 2015 के पश्चात नियमित शिक्षकों (Regular appointed faculty) को ही शोध पर्यवेक्षक बनाये जाने की बात कही है और क्षेत्रीय निदेशक इस श्रेणी में नहीं आते है अतः बिना यू.जी.सी. की अनुमति के उन्हें शोध पर्यवेक्षक बनाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 63/6 के संदर्भ में दो प्रकार के शोध विद्यार्थियों के संदर्भ में विचार–विमर्श किया गया :

प्रथम, ऐसे शोध विद्यार्थी जो यू.जी.सी के 2015 के नियम आने से पूर्व निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र के पर्यवेक्षण में पीएच.डी. विद्यार्थी के रूप में पंजीकृत हुए थे। माननीय सदस्यों का मत था कि इसमें शोधार्थियों की कोई गलती नही है। विश्वविद्यालय ने यू.जी.सी के 2015 के नियम आने से पूर्व क्षेत्रीय निदेशकों को शोध पर्यवेक्षक बनाया था, अतः शोध कार्य पूर्ण कर चुके विद्यार्थियों को शोध उपाधि प्रदान करने पर विचार किया जाना चाहिए।

द्वितीय, ऐसे शोध विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक कर्मचारी हैं और जिन्होंने विश्वविद्यालय से अनुमति लेकर कार्यालय समय में बिना अवकाश लिए अपना कोर्स वर्क पूर्ण किया है तथा अपना शोध कार्य भी पूर्ण कर लिया है। इन विद्यार्थियों को कोर्स वर्क की अनुमति विश्वविद्यालय द्वारा ही इस शर्त पर दी गई थी कि कार्यालय के कार्य में व्यवधान नहीं होना चाहिए। माननीय सदस्यो का मत था कि इस स्थिति में संबंधित उच्चाधिकारियों से टिप्पणी प्राप्त कर ली जाए कि उस अवधि में शोधार्थियों के विभागीय कार्य में कोई व्यवधान तो नहीं आया। माननीय सदस्यों का यह भी मत था कि शोध कार्य को पुर्ण करने की अवधी नियमानुसार अधिकतम 6 वर्ष है एवं कोरोना महामारी की दृष्टि से इस अवधि को जून, 2022 तक बढ़ाया गया है। अतः इस प्रकरण पर अविलंब निर्णय किया जाना चाहिए।

विचार–विमर्श उपरांत माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी कि उक्त प्रकरणों के संबंध में एक समिति गठित की जाय जो प्रकरण की अकादमिक,वैद्यानिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से समग्र जांच कर अपनी रिपोर्ट अधिकतम एक माह में प्रस्तुत करेगी। जांच समिति की अभिशंसानुसार शोधार्थियों को पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के लिए प्रबंध मंडल में चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा।

तत्पश्चात विद्या परिषद की 63वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया ।

100/5 : बिल्डिंग सब कमेटी की 32 वीं बैठक दिनांक 27 जुलाई, 2021 का कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

बिल्डिंग सब कमेटी की 32वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया ।

100/6 : विश्वविद्यालय में राज्य सरकार के निर्देश के अनुरूप आरक्षण नीति की पालना एवं रोस्टर पंजिका संधारित किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ

माननीय सदस्य प्रो. संतोष कुमार शील ने सदन को अवगत कराया कि रोस्टर पंजिका को संधारित करना अत्यंत जटिल एवं तकनीकी कार्य है। अतः इस संबंध में संपूर्ण प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन करने के बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जाए। उन्होंने इस संबंध में आवश्यकता पड़ने पर पूर्ण सहयोग करने हेतु सदन को आश्वस्त किया। सदन द्वारा व्यवस्था दी गई कि अन्तिम रूप से तैयार विश्वविद्यालय की रोस्टर को राज्य सरकार को अवगत करवाया जाए और नियमानुसार भर्ती की प्रक्रिया को चालू रखने की अनुमति प्राप्त कर आश्यकतानुसार राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदो के लिए भर्ती करने की अनुशंषा की गई।

100/7: सुश्री प्रगति व्यास, लिपिक ग्रेड–द्वितीय, द्वारा दिया गया अभ्यावेदन अवलोकन एवं निर्णयार्थ ।

सहायक जन संपर्क अधिकारी का पद विश्वविद्यालय में वर्तमान में स्वीकृत नहीं होने से पद की स्वीकृति (by name) का प्रस्ताव जिसमें इस पद का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने का भी उल्लेख हो, को राज्य सरकार

को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। स्वीकृति प्राप्त होने पर आगे की कार्यवाही करने की अनुशंषा की गई।

माननीय सदस्यो का मत था कि भविष्य में विश्वविद्यालय के विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति के संबंध में प्रगति रिपोर्ट कुलसचिव द्वारा प्रबंध मंडल में प्रस्तुत की जाए। बैठक में ऑनलाईन रूप से उपस्थित डॉ. फिरोज़ अख्तर, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा ने राज्य सरकार को प्रेषित प्रस्तावों पर सकारात्मक रूप से विचार करने हेतु सदन को आश्वस्त किया।

बैठक के अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

(डॉ.मो.अख्तर खान)
कुलसचिव एवं
सचिव, प्रबंध मंडल

माननीय कुलपति महोदय

11/2/2022

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा।

क्रमांकः–वमखुविवि/कुस/22/143 दिनांकः–15 फरवरी 2022

शुद्धि पत्र

प्रबंध मंडल की 100वीं बैठक दिनांक 20 जनवरी 2022 का फाइनल कार्यवाही विवरण जो कि माननीय सदस्गणों को दिनांक 14 फरवरी 2022 को सदस्यगणों को प्रेषित किया गया है, में निर्णय संख्या 100/03 के द्वितीय एवं पंचम पैराग्राफ में दिए गए विवरण के सम्बन्ध में कुछ सदस्यगणों द्वारा माननीय कुलपति महोदय को अवगत करवाए जाने पर माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार निम्नानुसार शुद्धि पत्र जारी किया जाता हैः–

पैराग्राफ संख्या	दिनांक 14 फरवरी 22 को जारी कार्यवाही में में उल्लेखित	सदस्यगणों द्वारा माननीय कुलपति महोदय को प्रस्तुत टिप्पणी उपरांत शुद्धि।
02	"62 वी बैठक के बिन्दु संख्या 62/01 के संदर्भ में आंतरिक गृहकार्य के ऑनलाईन मूल्यांकन व्यवस्था के संबंध में सदन में विस्तृत चर्चा की गई। सभी सदस्यों का मत था कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ की गई आंतरिक गृहकार्य के ऑनलाईन व्यवस्था प्रशंसनीय है। आन्तरिक गृह कार्य के ऑनलाइन मूल्यांकन गोपनीय प्रकृति माने जाने के प्रश्न पर प्रो. सी. बी. शर्मा का अभिमत था कि आन्तरिक गृह कार्य का मूल्यांकन दूरस्थ शिक्षा दर्शन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रो. सी. बी. शर्मा का अभिमत था कि असाइनमेंट की स्कैनिंग को गोपनीय नहीं माना जा सकता है और इसके लिए किसी एजेंसी की पहचान की प्रक्रिया गोपनीय प्रक्रिया नहीं है। एजेंसी की पहचान और दर बहुत प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने यह भी अभिमत रखा कि जब तक सरकार द्वारा स्थापित जांच समिति की रिपोर्ट नहीं आ जाती है और प्रबंध मण्डल द्वारा तदानुसार निर्णय नहीं किया जाए तब तक यह सुनिश्चित किया जाए कि इस कार्य के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाए।"	"62 वी बैठक के बिन्दु संख्या 62/01 के संदर्भ में आंतरिक गृहकार्य के ऑनलाईन मूल्यांकन व्यवस्था के संबंध में सदन में विस्तृत चर्चा की गई। सभी सदस्यों का मत था कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ की गई आंतरिक गृहकार्य के ऑनलाईन व्यवस्था प्रशंसनीय है। आन्तरिक गृह कार्य के ऑनलाइन मूल्यांकन गोपनीय प्रकृति माने जाने के प्रश्न पर प्रो. सी. बी. शर्मा का अभिमत था कि आन्तरिक गृह कार्य का मूल्यांकन दूरस्थ शिक्षा दर्शन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रो. सी. बी. शर्मा का अभिमत था कि असाइनमेंट की स्कैनिंग को गोपनीय नहीं माना जा सकता है और इसके लिए किसी एजेंसी की पहचान की प्रक्रिया गोपनीय प्रक्रिया नहीं है। एजेंसी की पहचान और दर बहुत प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने यह भी अभिमत रखा कि जब तक सरकार द्वारा स्थापित जांच समिति की रिपोर्ट नहीं आ जाती है और प्रबंध मण्डल द्वारा तदानुसार निर्णय नहीं किया जाए तब तक यह सुनिश्चित किया जाए कि इस कार्य के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाए।**अन्य सदस्यगणों का मानना था कि प्रत्येक मूल्यांकन, चाहे वह सत्रांत परीक्षा हो या आंतरिक गृह कार्य का, गोपनीय प्रकृति का ही माना जाना चाहिए ताकि परीक्षा अथवा मूल्यांकन की शुचिता को सुनिश्चित किया जा सके।**"
05	"सदन की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति महोदय ने सदस्यों को अवगत कराया कि परीक्षा एवं मूल्यांकन को ऑनलाइन करने का निर्णय प्रबंध मंडल की 86वीं बैठक दिनांक 25 जून 2013 के	"सदन की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति महोदय ने सदस्यों को अवगत कराया कि परीक्षा एवं मूल्यांकन को ऑनलाइन करने का निर्णय प्रबंध मंडल की 86वीं बैठक दिनांक 25 जून 2013 के निर्णय संख्या 86/18(7) में लिया गया था। तत्पश्चात् विद्या परिषद

	निर्णय संख्या 86/18(7) में लिया गया था। तत्पश्चात् विद्या परिषद की 60वीं बैठक एवं प्रबंध मंडल की 98 वीं बैठक में भी ऑनलाईन परीक्षा एवं गृहकार्य की व्यवस्था के बारे में भी निर्णय किया गया। माननीय कुलपति महोदय ने यह भी बताया कि हजारों छात्रों की शिकायतों को देखते हुए गठित समितियों द्वारा भौतिक रूप से जांच की गई एवं जांच उपरांत प्राप्त टिप्पणी के आधार पर आंतरिक गृह कार्य की शुचिता को बनाए रखते हुए तत्काल मूल्यांकन को ऑन लाइन करने का निर्णय किया गया।जिसमें ऑनलाईन मूल्यांकन की संपूर्ण प्रक्रिया नियुमानुसार RTPP act 2012 के प्रावधानों के अनुरूप ही आउटसोर्स किया गया है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भी प्रमाणित किया है कि आंतरिक गृहकार्य के ऑनलाईन मूल्यांकन कार्य को आउटसोर्स करने की व्यवस्था में किसी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार नहीं हुआ है।''	की 60वीं बैठक एवं प्रबंध मंडल की 98 वीं बैठक में भी ऑनलाईन परीक्षा एवं गृहकार्य की व्यवस्था के बारे में भी निर्णय किया गया। **माननीय कुलपति महोदय ने यह भी बताया कि आतंरिक गृह कार्य के ऑनलाइन मूल्यांकन को गोपनीय मानते हुए और** इस प्रकार की व्यवस्था को आंतरिक स्तर पर तत्काल विकसित करने एवं हजारों छात्रों की शिकायतों को देखते हुए गठित समितियों द्वारा भौतिक रूप से जांच की गई एवं जांच उपरांत प्राप्त टिप्पणी के आधार पर आंतरिक गृह कार्य की शुचिता को बनाए रखते हुए तत्काल मूल्यांकन को ऑन लाइन करने का निर्णय किया गया।जिसमें ऑनलाईन मूल्यांकन की संपूर्ण प्रक्रिया नियुमानुसार RTPP act 2012 के प्रावधानों के अनुरूप ही आउटसोर्स किया गया है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भी प्रमाणित किया है कि आंतरिक गृहकार्य के ऑनलाईन मूल्यांकन कार्य को आउटसोर्स करने की व्यवस्था में किसी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार नहीं हुआ है।''

अतः पूर्व में प्रेषित 100वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के निर्णय संख्या 100/03 के द्वितीय एवं पंचम पैराग्राफ को उपरोक्तानुसार शुद्धिकरण करते हुए पढा जाए। उक्त शुद्धि पत्र माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन एवं आदेशानुसार जारी किया जाता है।

(डा0 एम0ए0 खान)
कुलसचिव
एवं सचिव (प्रबंध मंडल)

क्रमांकः–वमखुविवि/कुस/22/144-47 दिनांकः–15 फरवरी 2022

प्रतिलिपी सूचनार्थः–

1. सचिव,कुलपति सचिवालय वमखुविवि,कोटा को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने वास्ते।
2. समस्त सदस्य प्रबंध मंडल वमखुविवि,कोटा।
3. नियंत्रक, वित्त,वतखुविवि,कोटा।
4. प्रभारी,ई0एम0पी0,वमखुविवि,कोटा को वेबसाइट पर प्रबंध मंडल की 100वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के साथ संलग्न कर अपलोड करें।

कुलसचिव